

लगाई, लेकिन कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। अतः इनके बिना एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। बटल प्राणपत्र सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश प्राणपत्र धारा-212 R.T. Act दि. 09/03/26 को पेश है।

[Signature]
20/03/26

09/03/26

पत्रावली पेश हुई। वकील प्राथमिक उपस्थित। बटल प्राणपत्र के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम हरनावदापीछा हल्का हरनावदागामा की वाडग्राम आराली खण्ड नं० 243 खण्डा 0-1391 हैक्ट प्राथमिक एवं अप्रार्थी क्रम-4 के हस्ताक्षरकारी की आराली है अतः प्रकार प्रथम हल्का प्राथमिक व अप्रार्थी 4 के पक्ष में लाबित है। अप्रार्थी क्र० 1 से 3 का वाडग्राम भूमि से कोई भी सम्बंध होना पत्रावली पर उपलब्ध सिन्ड के आधार पर जाहिर नहीं होता है। अप्रार्थीगण द्वारा बावपुड सूचना एवं स्वयं कोई भी उपस्थित रहने पर भी कोई जवाबदागी साक्ष्य पेश नहीं किया। बाद में तारीख पेशी दिनांक 29/02/26 को एकपक्षीय कार्यवाही हो गई। अतः अप्रार्थी क्रम 1 से 3 द्वारा वाडग्राम भूमि पर पत्रावली निमार्ण करने व सुई-सुई करने पर प्राथमिक कोई आदेश प्रसुविद्या होगी प्रारणामतः अप्रार्थीप क्षति भी हो सकती है।

अतः प्राथमिक का प्राणपत्र स्वीकार




तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज

नम्बर
अहक
हुक्म
में

दिया जाकर अप्रार्थ क्रम 1 से 3 को तापैलपा
मूलका इस मास्य कि अस्थाई निषेधासा
से पाबंद किया जाता है कि वे बिना किसी
सक्षम आदेश के वास्तुगत भूमि खण्ड 243 पर
कोई निर्माण नहीं करे। पत्रावली पैलपशुमा।
होकर नम्बर से कम होकर मूलका के साथ
संलग्न है।




09/03/26

उपखण्ड अधिकारी
पिडवा, जिला झारखण्ड (सज०)